फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री भगवान सिंह निवासी सतलेवा, वाडीया वाली भागल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा – प्रत्यर्थी

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 — **पत्रावली संख्या 17 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक :– सू0अ0 / 2026 / 135–36 दिनांक 10.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता श्री भगवान सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.01.2026 के क्रम में प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा पत्रांक सामान्य / आर टी आई / सू0अ0 / 2025–26 / 131 दिनांक 23.02.2026 द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वांछित सूचनाओं के संबंध में आवेदनकर्ता को सूचना ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचना आवेदनकर्ता को दे दी गई। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत अपील, अपलार्थी प्रथम सुनवाई के दौरान ही खारीज करना फरमावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित प्रश्नात्मक तथा सृजनात्मक श्रेणी की होने से उक्त संबंध में कार्यालय के पत्रांक सामान्य / आरटीआई / सू0अ0 / 2025–26 / 131 दिनांक 23.02.2026 से प्रार्थी को सूचित किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में जरिये पत्र क्रमांक सामान्य / आरटीआई / सू0अ0 / 2025–26 / 131 दिनांक 23.02.2026 से सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)